न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 02/2022

उनवान

1.गोपाल कृष्ण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष निवासी–ग्राम लाखनी तहसील–शाहपुरा जिला–जयपुर राजस्थान हालनिवासी–40 ए राम नगर मुरलीपुरा सीकर रोड जयपुर राज.।

– प्रार्थी/अपीलार्थी

बनाम

1. हनुमान सहाय पुत्र स्व. कन्हैया लाल जाति–ब्राम्हण, निवासी– बी.58 सीकर हाउस जयपुर जिला जयपुर राजसथान
2. तहसीलदार शाहपुरा तहसील–शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान
3. सरपंच ग्राम पंचायत लेटकाबास लाखनी तहसील शाहपुरा (आदेश दिनांक 09/10/2023 की अनुपालना में)
4. सीताराम शर्मा पुत्र स्व. हरिप्रसाद जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष निवासी–ग्राम लाखनी तहसील–शाहपुरा जिला–जयपुर राजस्थान
5. कैलाश चन्द पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष
6. गिरिराज पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष
7. रविशंकर पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष
8. प्रमोद कुमार पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष
9. जगदीश पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष
10. उमाकान्त पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष
11. रमाकान्त पुत्र स्व. प्रभुदयाल जाति–ब्राम्हण आयु 50 वर्ष

निवासीयान्–ग्राम लाखनी तहसील–शाहपुरा जिला–जयपुर राजस्थान हालनिवासी–64 शेखावटी नगर जोडला पावर हाउस सीकर रोड, जयपुर राज.

– रेस्पोडेन्टस/प्रत्यर्थीगण

<u>प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 112 दिनांक 30.09.1973 को अपास्त व निरस्त किये जाने बाबत्</u>

निर्णय दिनांकः 01/02/2024

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि साबिक खसरा नम्बर 65, 66, 67, 279, 298, 320, 84, 90, 214 215, 216 पुराना खाता संख्या 60 जिनके वर्तमान हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 0.39 है0 खसरा नम्बर 119 रकबा 0.11 है0 खसरा नम्बर 120 रकबा 0.07 है0 खसरा नम्बर 121 रकबा 0. 19 है0 खसरा नम्बर 446 रकबा 0.62 है0, कुल रकबा 2.13 है0 खाता सख्या 123 नया व खाता सख्या 115 पुराना वाके राजस्व ग्राम लाखनी पटवार हल्का कांट मे स्थित है जिसमे अपीलाट के बुर्जग स्व. महादेव प्रसाद पुत्र काना (कन्हेयालाल) की सम्वत 2008 से 2027 तक शुरू से ही काश्तकार कब्जा व हक हकुक की काश्त कारी भूमि थी, स्व.महादेव प्रसाद का जुलाई 2017 मे देहान्त हो चुका है। उन्होने अपने जीवन काल मे कब्जा काश्त अपने भतीजे अपीलाट गोपाल कृष्ण शर्मा को संम्भला दिया था ओर वर्तमान मे उनके स्थान पर श्रीमान अदालत मातहत के आदेश से अपीलांट उनके स्थान पर कामय मुकाम रिकोर्ड हुए एव स्व. महोदव प्रसाद की पीठ पीछे रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने हनुमान सहाय जो कि राजस्व विभाग मे कर्मचारी था जिसने अपने पद का दुरूपयोग नाजायज फायदा उठाकर उक्त काश्तकारी भूमि महादेव प्रसाद ग्राम लाखनी एव लेटकाबास मे राजस्व कर्मचारियो से साठगाठ करके इन्तकाल नम्कर 112 दिनांक 30.09.1973 को

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

स्वीकार करवाया, जो कि बिना अधिकार के कानुनी विपरीत होने से निरस्तनीय है, उक्त नामान्तकरण के विरूद्ध अपील निम्न आधारो पर पेश है :–

1. यह कि अपीलाधीन नामांतरकरण वास्तविक तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

2. यह कि नियम 131 भू–राजस्व–भू–अभिलेख/अधिनियम, 1957 की अनुपालना में विरासत की जांच किये बगैर ही उक्त भूमि स्वयं अर्जित आय की महादेव प्रसाद द्वारा अर्जित भूमि में अन्य भाईयो का हिस्सा व हक नही होने की जांच किये बगैर ही अपीलाधीन नामातरकरण खोल दिया गया, इसलिये अपीलाधीन नामांतरकरण निरस्तनीय है।

3. यहकि नियम 133 भू–राजस्व/भू–अभिलेख/अधिनियम–1957 की अनुपालना में कब्जे की जांच किये बगैर ही अपीलाधीन नामांतरकरण खोल दिया गया क्योंकि मौके पर उपरोक्त अपील की मद संख्या–1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–1 का कब्जा नहीं है। इसलिये भी अपीलाधीन नामांतरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि अधिनस्थ मातहत न्यायालय के आदेश /नामान्तकरण जिसके द्वारा नामान्तकरण दिनांक 30/9/1973 ग्राम लाखनी स्वीकार किया गया है वह कानुन के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज किये जाने योग्य है।

5. यह कि अधिनस्थ मातहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथाकथित विधि विरूद्ध पारित किया गया है जिसका विधि मे बिना सुनवाई किये अपीलाट को पारित किया गया है तथा बिना किसी तथ्यो के आधार पर पारित किया गया है जिसका विधि मे तहसीलदार को कोई अधिकार नही होने के बावजुद भी महादेव प्रसाद की स्वय की अर्जीत आय भूमि अन्य के नाम नामान्तकरण संशोधन किया जाना विधि मे कोई प्रावधान नही होने के बावजुद भी पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

6. यह कि तथाकथित नामान्तकरण मे संशोधन के द्वारा किसी प्रकार का राजस्व रिकोर्ड मे परिवर्तन नही किया जा सकता है जिसकी विधि मे कोई प्रावधान नही होने के बाद भी ग्राम पंचायत के संरपच कांट लाखनी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 30–09–1973 को नामान्तकरण संख्या 112 को पारित करना विधि विरूद्ध होने एव ग्राम पंचायत कोरम मे ना तो किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव लिया गया है ना ही ग्राम पंचायत के वारिसानो की बिन जाच व ना ही ग्राम पंचायत का यह आदेश है इसी कारण इसी आधार पर उक्त आदेश नामान्तकरण खारिज किये जाने योग्य है।

7. यह कि अधिनस्थ मातहत न्यायालय ने आदेश दिनांक 30.09.1973 पारित करने से पुर्व तथाकथित आराजीयात के रिर्कोडेड खातेदार स्व. महोदव प्रसाद शर्मा को ना तो सूचना दी गई ओर ना ही कोई सूचना दी ना ही कोई नोटिस दिया ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया है इस प्रकार का आदेश एक पक्षीय बिना सुनवाई के विधि विरूद्ध पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से प्रारॅम्भ से नल एव वोईड होने के कारण तथा एक रिकोडेड खातेदार के पीट पिछे से पारित किया गया है जो कि इसी आधार पर निरस्तनीय है।

8. यह कि प्रत्यर्थी संख्या 01 हनुमान सहाय एक राजस्व विभाग में कर्मचारी था तथा फर्जीवाडा करने व राजस्व रिकार्ड में अवैध तरीके से परिवर्तन कराने में माहिर था। जिसका हनुमान सहाय द्वारा रिश्वत लेकर नौकरी से सस्पेए किया गया था। एवं हनुमान सहाय स्व. कन्हैया लाल का चौथे नम्बर का बेटा था जो सबसे छोटा था। स्व. कन्हैया लाल के पास कोई खातेदारी भूमि नही थी और न ही कोई पैतृक सम्पति थी। कन्हैया लाल के चार पुत्र व दो पुत्रीया थी। हनुमान सहाय सबसे छोटा एव राजस्व विभाग में कर्मचारी था तथा अन्य पुत्र महादेव प्रसाद हरिप्रसाद व प्रभुदयाल अपने पिता के गाव लाखनी में रहते थे ओर खेती बाडी व काश्त करते थे अपनी स्वयं की आय गाव लाखनी व लेटकाबास में कई जगह सन् 1966 व उसके पहले कई खातेदारी भूमि खरीद कर काश्त करते थे जिसमें हनुमान सहाय व उसके पिता स्व. कन्हैया लाल का कोई लेंना

उप पंजीयन अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

देना नही था। हनुमान सहाय ने तो अपने भाईयो से अलग होकर उनकी सहायता से सोने व चांदी के जेवरात लेकर जयपुर में मकान खरीद कर निवास करता आ रहा है। इस लिये महादेव प्रसाद की उक्त वर्णित भूमि में किसी का कोई लेना देना नही होने के कारण उक्त नामान्तरण अवैध व नल व वाईड की परिभाषा में आता है जिसके कारण उक्त अपीलाधिन नामान्तरकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि प्रत्यर्थी संख्या 01 हनुमान सहाय एक राजस्व विभाग में कर्मचारी था तथा फर्जीवाडा करने व राजस्व रिकार्ड में अवैध तरीके से परिवर्तन कराने में माहिर था। जिसका हनुमान सहाय द्वारा रिश्वत लेकर नौकरी से सस्पेंड किया गया था। एवं हनुमान सहाय स्व. कन्हैया लाल का चौथे नम्बर का बेटा था जो सबसे छोटा था। स्व. कन्हैया लाल के पास कोई खातेदारी भूमि नही थी और न ही कोई पैतृक सम्पति थी। इसी प्रकार से हनुमान सहाय ने हरिप्रसाद व प्रभूदयाल के द्वारा 1962 में स्वय की अर्जीत आय से खरीदी गई खातेदारी भूमि ग्राम लेटकाबास में भी राजस्व रिकार्ड में फर्जी तरीके से अपना नाम जोडकर 1973 में संशोधित नामातनरण खुलवा लिया था। जिसमें उक्त नामान्तकरण 308, 309 दिनांक 30/09/1973 को भी अपीलाधिन करने पर अपीलीय न्यायलयो के द्वारा निरस्त कर मूल खातेदारो के नाम से राजस्व रिकार्ड में दुरस्त कर मूल खातेदारो के वारिसो के नाम नामान्तकरण खोल देने के आदेश होने के उपरान्त जमाबंदी नामान्तकरण खोल दिया गया है। इस लिये उक्त तथ्यो के आधार पर उक्त अपीलाधिन नामान्तकरण निरस्तनीय है।

10. यह कि विवादित अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 16/09/2022 से पूर्व नही थी दिनाक 16/09/2022 को अपीलान्ट ने प्रकरण संख्या 06/2017 पुनः दर्ज प्रकरण 01/2022 निर्णय दिनांक 30/08/2022 के नकल दिनांक 16/09/2022 को निकलवाई तो अपीलान्ट को जानकारी हुई की स्व. महादेव प्रसाद की दो गावो ग्राम लेटकाबास व ग्राम लाखनी की भूमि सम्पूर्ण रूप से अपीलान्ट जो की बहैसियत कानूनी वारिस स्व. महादेव प्रसाद उसके वारिसान अपीलार्थी ने अपने उक्त नामान्तकरण के बाद बैंक से क्रेडिट कोर्ड बनवाने के लिये गया तो उक्त भूमि की जमाबंदी से जानकारी हुई की उक्त भूमि अपीलार्थी के नाम तो आधा हिस्सा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है। जबकी वसीयत में उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में संपूर्ण हिस्सा स्व. महादेव प्रसाद के नाम दर्ज दिखाई गई इस प्रकार अपीलार्थी को संदेह होने पर अपीलार्थी ने उक्त पुराना रिकार्ड निकलवाने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 16/09/2022 को ही पेश कर दिया गया लेकिन उक्त नकल अपीलार्थी को दिनांक 20/09/2022 प्राप्त होने पर ही जानकारी हुई की स्व. महादेव प्रसाद की उक्त भूमि संम्पूर्ण भूमि महादेव प्रसाद ने स्वयं की आय से अर्जीत कर राजस्व रिकार्ड में सम्वत् 2008 से 2027 तक मिसल बन्दोबस्त अपीलार्थी के बुजुर्ग स्व. महादेव प्रसाद के अकेले के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है तथा उक्त भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 01 ने अपना नाम बिना किसी युक्ती युक्त कारण व हक अधिकार के राजस्व रिकार्ड नामांतरण सं0 112 दिनांक 30.09.1973 को बिना किसी कानूनी हक व अधिकार के अकेले सरपंच के द्वारा राजस्व रिकार्ड में नाम परिर्वतन करवा लिया गया। जो कि इसी आधार पर नल वोईड की श्रेणी में खोला गया नामांतरण बिना किसी युक्ती युक्त कारण के पीठ पीछे अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बिना किसी तथ्यो की विवेचना किये बिना ही खोला गया है। जिसको निरस्त करवाने के लिये किसी विधि में मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नही है, लेकिन अपीलार्थी स्वयं को जानकारी जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये बैंक गया तो और फिर उक्त नामान्तकरण की नकल दिनांक 20/09/2022 को उपलब्ध करवायी गयी। इस प्रकार उपरोक्त अपील अपीलाधीन नामांतरण की सर्व प्रथम जानकारी की तिथी दिनांक 22.09.2022 से आज अन्दर मियाद पेश है। इसके अतिरिक्त अपीलाधिन नामान्तकरण मिथ्या तथ्यो एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर खोला गया है। इस लिये विवादित नामान्तकरण को निरस्त कराने के लिये मियाद

उप खण्ड अधिकारी
चाकसू जिला जयपुर

विधि लागू नही होती है। फिर भी उपरोक्त अपील को पेश करने में हुये विलम्ब के लिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम पृथक से पेश है।

अतः अन्त में निवेदन किया गया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार बैराठ जिला जयपुर द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 112 दिनांक 30/09/1973 को निरस्त/अपास्त फरमाये तथा राजस्व रिकार्ड की पूर्ववर्ति स्थिति को रेस्टोर किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपील पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्ट्रर होने पर गैर अपीलान्ट की तलबी की गई। दिनांक 18.01.2023 को गैर अपीलान्ट सं0 01 उपस्थित । दिनांक 09.10.2023 को गैर अपीलान्ट सं0–1 ने अपील नामान्तरण सं0 112 दिनांक 30.09.1973 का जवाब पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 25/07/1973 को महादेव प्रसाद ने तहसीलदार विराटनगर को एक प्रार्थना पत्र दिया की ग्राम लाखनी में मेरे नाम 2.13 हैक्टेयर जमीन है। और ग्राम लेटकाबास में 5 बीघा 13 बिस्वा भूमि है जिस पर हम चारो भाई समान रूप से कब्जा काश्त करते है। इसी प्रकार हरिप्रसाद व प्रभूदयाल की भूमि भी थी। जिसमें संशोधित नामान्तरण आदेश से सरपंच ग्राम पंचायत कांट लाखनी के द्वारा मेरे नाम 308, 309 एवं 112 दिनांक 30/09/1973 नामान्तरण खोले गये । हम सभी के बीच विभिन्न न्यायलयो में मुकदमें चल रहे है। गोपाल कृष्ण अपीलार्थी द्वारा मेरे खातेंदारी अधिकार को चुनोती दी गई है। अतः अपील मियाद बाहर निरस्त फरमाई जाये।

अपील में पक्षकार प्रत्यर्थी सं0 03 के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत लेटकाबास, लाखनी तहसील शाहपुरा को पक्षकार बनाया। दिनांक 09.10.2023 को प्रत्यर्थी सं0 03 को न्यायहित में पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी स्वीकार किया गया। प्रत्यर्थी सं0 03 के रूप में लाल स्याही से सरपंच ग्राम पंचायत लेटकाबास लाखनी का अंकन प्रार्थना–पत्र में किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 3 को नोटिस जारी किये। रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार वर्मा ने दिनांक 18.10.2023 को वकालतनामा एवं जवाब अपील प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि साबिक खसरा नम्बर 65, 66, 67, 279, 298, 320, 84, 90, 214 215, 216 पुराना खाता संख्या 60 जिनके वर्तमान हाल खसरा नम्बर 118 रकबा 0.39 है0 खसरा नम्बर 119 रकबा 0.11 है0 खसरा नम्बर 120 रकबा 0.07 है0 खसरा नम्बर 121 रकबा 0.19 है0 खसरा नम्बर 446 रकबा 0.62 है0, कुल रकबा 2.13 है0 खाता सख्या 123 नया व खाता सख्या 115 पुराना वाके राजस्व ग्राम लाखनी पटवार हल्का कांट मे स्थित है जिसमे अपीलाट के बुर्जग स्व. महादेव प्रसाद पुत्र काना (कन्हैयालाल) की सम्वत 2008 से 2027 तक शुरू से ही काश्तकार कब्जा व हक हकुक की काश्त कारी भूमि थी, स्व.महादेव प्रसाद का जुलाई 2017 मे देहान्त हो चुका है, उन्होने अपने जीवन काल मे कब्जा काश्त अपने भतीजे अपीलाट गोपाल कृष्ण शर्मा को सम्भला दिया था ओर वर्तमान मे उनके स्थान पर श्रीमान अदालत मातहत के आदेश से अपीलांट उनके स्थान पर कामय मुकाम रिकोर्ड हुए एव स्व. महोदव प्रसाद की पीठ पीछे रेस्पोडेन्टस संख्या 01 ने हनुमान सहाय जो कि राजस्व विभाग मे कर्मचारी था जिसने अपने पद का दुरूपयोग नाजायज फायदा उठाकर उक्त काश्तकारी भूमि महादेव प्रसाद ग्राम लाखनी एव लेटकाबास मे राजस्व कर्मचारियो से साठगाठ करके इन्तकाल नम्कर 112 दिनांक 30.09.1973 को स्वीकार करवाया जो कि बिना अधिकार के कानुनी विपरीत होने से निस्तनीय है ।

यह कि गोपाल कृष्ण के हम अन्य भाई–बहिन जिनमें आपसी सदभाव बहुत अच्छा है और हनुमान सहाय हमारें फूट डालना चाहता है इसी कम में माननीय राजस्व अधिकारी जयपुर में गोपाल कृष्ण के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र गोपाल कृष्ण के भाई रविशंकर शर्मा, उमाकान्त शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, रमाकान्त शर्मा एवं सीताराम शर्मा की तरफ से पेश किया गया जैसे ही गोपाल कृष्ण को जानकारी मिली तुरन्त ही माननीय न्यायालय के अन्दर संलग्न प्रार्थना पत्र देकर कडी कार्यवाही की प्रार्थना की गई क्योकि हनुमान सहाय की

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

फर्जी हस्ताक्षर करने की आदत पडी हुई है, इसलिये हम सब भाई उक्त अपील मे भी अपनी सहमत्ति प्रदान करते है। यह कि श्रीमान जी से करबद्व प्रार्थना है कि स्व. महादेव प्रसाद वास्तविक काश्तकार था उसकी स्व अर्जित कृषि भूमि थी और उसकी इच्छानुसार वसीयतनुसार गोपाल कृष्ण ही बिना किसी आपत्ति के एक मात्र कानूनी विधिक वारिस है। अतः 1973 से पूर्व जो भी भूमि महादेव प्रसाद के नाम दोनो गांव में थी वह समस्त भूमि गोपाल कृष्ण के नाम दर्ज की जायें। इसमे महादेव प्रसाद, हरिप्रसाद एवं प्रभूदयाल के हम सभी वारिसान को या किसी भी वारिस को कोई आपत्ति नही है ना ही इस भूमि पर नामान्तरण खोलने पर किसी प्रकार का स्टे है तथा हनुमान सहाय फर्जी तरीके से नामान्तकरण खुलवा लिया जिसको निरस्त किया जाकर विधिक वारिस गोपाल कृष्ण शर्मा के नाम नामान्तकरण खोलने में हम सभी वारिसानो को कोई की आपत्ति नही है। यह कि उपरोंक्त अपील मे अंकित तथ्य हम सब वारिसानो को स्वीकार है। अतः जबाब अपील पेश कर निवेदन है कि अपील को स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 112 दिनांक 30.09.1973 को निरस्त किया जाकर महादेव प्रसाद का विधिक वारिसान गोपाल कृष्ण शर्मा के नाम खोला जाने के आदेश फरमाया जावे।

अतः सम्पूर्ण तथ्यो एवं कागजात का विवेचन करने पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में अपीलार्थी के पक्ष में दिनांक 23.05.2017 का निर्णय जिसमें नामान्तरण सं0 308 दिनांक 30.09.1973 एवं 309 दिनांक 30.09.1973 का भी अध्ययन किया गया जिसमें रेस्पॉन्डेन्ट सं0 01 हनुमान सहाय द्वारा इसी तरीके से ग्राम लेटकाबास की खातेदारी भूमि में भी अपना नाम जुडवा लिया था। जिसमें इसी न्यायालय द्वारा केवल सरपंच द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर खोले गये दोनो उक्त नामान्तरण खारीज किये गये थे और उनकी अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर में रेस्पॉन्डेन्ट 01 हनुमान सहाय द्वारा अपील सं0 232/2017 एवं 233/2017 की गयी पुनः माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर ने भी निर्णय दिनांक 08.02.2021 में इस न्यायालय के निर्णय 23.05.2017 की पुष्टि की। जिसमें रेस्पोन्डेट 01 हनुमान सहाय ने सन 2011 से लेकर सन 2021 तक अपीलाधीन नामांतरण 112/30.09.1973 की न तो कही चर्चा की न ही किसी न्यायालय में बताया। अतः स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेट सं0 01 हनुमान सहाय ने चोरी छिपे खोले गये उक्त नामान्तरण जो एक ही प्रकृति एवं एक पक्षकारान से संबंधित था, जिसको छिपाये रखा। जब अपीलांट 20.09.2022 को राजस्व रिकार्ड निकलवाने पर जानकारी हुई तब अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में उक्त अपील नामान्तरण प्रार्थना–पत्र पेश किया। अतः रेस्पोन्डेट सं0 01 हनुमान सहाय का नामांतरण सं0 112 दिनांक 30.09.1973 इस आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

अपील अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 हनुमान सहाय अपील जवाब एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 04 लगायत 11 अपील जवाब प्रस्तुत कागजात, राजस्व रिकार्ड का सुक्ष्म अध्ययन एवं परीक्षण किया गया जिसमें निर्णय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा दिनांक 23/05/2017 न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा जयपुर दिनांक 22/08/2017 एवं 30/08/2022 एवं माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 08/02/2021 एवं मिशल बन्दोबस्त 2008 से 2027 का अध्ययन किया गया अपीलार्थी की अपील प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से बखुबी साबित होती है। हनुमान सहाय रेस्पोडेन्टगण 01 का 1973 से पूर्व किसी भी राजस्व रिकार्ड में एवं किसी भी कृषि भूमि कागजात में कही कोई नाम नही था। रेस्पोडेन्टगण 01 ने कोई भी ऐसा राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही कर पाया जिससे विरासत की भूमि होना साबित हो सके स्व0 कन्हैयालाल के नाम से कोई भी राजस्व रिकार्ड या कागज़ात प्रस्तुत नही किये गये। जिससे की विरासत की भूमि साबित हो सके । न ही रेस्पोडेन्ट 01 हनुमान सहाय ने न तो कोई ठोस सबूत प्रस्तुत कर पाया जिससे विरासत की भूमि साबित हो और न ही इस भूमि के बारे में हनुमान सहाय किसी भी न्यायालय का स्थगन का आदेश प्रस्तुत कर पाया है। अतः अपीलार्थी की अपील जिसमें कथन किया है

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

की उक्त भूमि का एक मात्र स्वामी व खातेदार काश्तकार महादेव प्रसाद है पूर्णतया साबित होती है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत कागजात अपीलार्थी की अपील को बखुबी साबित करते है अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। वर्ष 1973 से पूर्व रेस्पोडेन्ट 01 हनुमान सहाय का नाम किसी भी राजस्व रिकार्ड में नही है। उसके नाम भूमि किस विधिक तरीके से आई यह बताने में रेस्पोडेन्ट 01 हनुमान सहाय न्यायालय को सन्तुष्ट नही कर पाया और केवल सरपंच के द्वारा संशोधित नामान्तरण खोलना विधि विपरीत एवं अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया गया है । सरपंच ग्राम पंचायत को संशोधित नामांतरण खोलने का विधिवत कोई अधिकार नही था। साथ ही न तो विरासत की जांच की गयी न ही विरासत से संबंधित कागजात लिये गये न ही देखे गये। न ही गिरदावरी रिपोर्ट ली गयी जो की बहुत आवश्यक है सब नियम कायदो को ताक पर रखकर सरपंच ग्राम पंचायत ने विधिविपरीत नामांतरण 112 दिनांक 30.09.1973 ग्राम लाखनी खोला है। इस प्रकार अपीलार्थी की प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बैराठ जिला जयपुर द्वारा खोला गया नामान्तरण संख्या 112 दिनांक 30/09/1973 को निरस्त/अपास्त किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तथा कथित नामान्तकरण में प्रभावित पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नियमानुसार तथा कथित नामान्तरण की जांच करे एवं विधि सम्मत तरीके से निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार तहसील शाहपुरा को प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि प्रकरण का 30 दिवस में नियमानुसार निस्तारण कर पालना से अवगत करावे। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को तहरीर जारी हो, तथा प्रभावित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा के समक्ष निर्धारित समयावधि में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के जरिये आवश्यक रूप से उपस्थित होकर प्रकरण में प्रभावी पैरवी करे।

निर्णय आज दिनांक 01/02/24 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा
शाहपुरा जिला जयपुर